

भारत संघ

बनाम

यूमनम आनंद एम. उर्फ बोचा उर्फ कोरा उर्फ सूरज व अन्य

12 अप्रैल, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंता, जे. जे.]

*निवारक निरोध:*

*बंदी द्वारा निरोध के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करना - प्रतिनिधित्व का निपटारा करने से पूर्व प्रायोजक प्राधिकरण के विचार प्राप्त करने में उचित अधिकार पर विचार करना*

*राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 - धारा 3 (3)।*

*नजरबंदी के खिलाफ बंदी द्वारा प्रतिनिधित्व - अधिकार पर विचार के साथ अत्यंत शीघ्रता और तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निरोध संबंधित प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित है और अनुच्छेद 22 (5) के तहत प्रदत्त संवैधानिक अधिकार का कोई भी उल्लंघन निरोध आदेश को अमान्य करता है। हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण का यह दायित्व है कि यह दर्शित करें कि निरोध आदेश पूर्णतः कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार है। भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 22 (5)&21।*

*भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-बंदी प्रत्यक्षीकरण- बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट एक अधिकार की रिट है जो पूर्व डेबिटो न्यायाधीश (पूर्व ऋण न्याय) अनुदान योग्य है, परन्तु यह एक रिट नहीं है। आवेदक को प्रथम दृष्टया यह दर्शित करना होगा कि उसका निवारक निरोध विधिविरुद्ध है।*

प्रतिवादी संख्या 01 पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 3(3) सपठित गृह विभाग के आदेश संख्या 17 (1)/49/80-एस (पीटी) दिनांक 31.05.2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 पर निरोध के आदेश की तामील करवायी। निरोध के आदेश को राज्य के गवर्नर ने मंजूरी दी थी। बंदी के द्वारा गृह मंत्रालय के समक्ष प्रतिनिधित्व दिया गया जिसपर तुरंत बिन्दूवार (पैरावाइज) टिप्पणी प्रयोज्य प्राधिकारी से मंगवाई गई। टिप्पणियां प्राप्त हुईं जिसके बाद प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया। बंदी ने निरोध के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि उनके प्रतिनिधित्व के निपटारे में अस्पष्ट देरी हुई थी। एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया जिसमें बताया गया कि प्रायोजक प्राधिकरण से विचार प्राप्त करने में कुछ समय लगा था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रायोजक प्राधिकरण के विचार लेने की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए प्रतिनिधित्व के निपटारे में देरी को ठीक से समझाया नहीं गया। तदनुसार निरोध के आदेश को रद्द कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने यह माना कि

1. यह सवाल कि क्या प्रतिनिधित्व के निपटारे में देरी हुई थी, संविधान के अनुच्छेद 22 (5) की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक बंदी को एक संवैधानिक संरक्षण दिया गया जो संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के अनुसार बंदी को नजरबंदी के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता प्रदान करने का आदेश देता है। यह भी अनिवार्य है कि वह प्राधिकरण जिसे प्रतिनिधित्व संबोधित किया गया है वह उसे अत्यधिक शीघ्रता से निपटे। प्रतिनिधित्व पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए कि बंदी का निरोध संबंधित प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित है और अनुच्छेद 22 (5) के तहत प्रदत्त संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन निरोध आदेश को अमान्य करता है। अनुच्छेद 21 के तहत

संरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी पवित्र और संवैधानिक मूल्यों के पैमाने में इतनी अधिक है कि यह दिखाना बंदी प्राधिकारी का दायित्व है कि विवादित नजरबंदी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ सावधानीपूर्वक मेल खाती है। [ पैरा 6 ] [64-ए-सी]

*थॉमस पचम डेल्स* (1881) 6 क्यू. बी. डी. 376, का मामला संदर्भित।

2. संविधान के अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा, अवैध निरोध के प्रश्न की अत्यधिक शीघ्रता के साथ जांच करने के लिए निश्चित रूप से एक तंत्र की आवश्यकता थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट इस प्रकृति का एक उपकरण है। इस रिट को अधिकार के एक रिट के रूप में वर्णित किया गया है जो *ex debito justitiae*, (पूर्व ऋण न्याय) अनुदान योग्य है। यद्यपि यह एक अधिकार की रिट है, यह निश्चित रूप से एक रिट नहीं है। आवेदक को अपनी गैरकानूनी नजरबंदी का प्रथम दृष्टया मामला दिखाना होगा। [पैरा 7] [64-एफ]

3. निवारक निरोध के मामले में कोई अपराध साबित नहीं होता है, न ही कोई आरोप लगाया जाता है और इस तरह के निरोध का औचित्य संदेहपूर्ण है या तर्कसंगतता और कोई आपराधिक दोषसिद्धि नहीं है जिसे केवल कानूनी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सके। निवारक न्याय के लिए आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने के लिए कार्यवाही की आवश्यकता होती है। लेकिन साथ ही, एक व्यक्ति सबसे बड़ी मानव स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित है, और इसलिए, निवारक निरोध के कानूनों का सख्ती से अर्थ लगाया जाता है, और प्रक्रियात्मक सुरक्षा के साथ सावधानीपूर्वक अनुपालन, हालांकि, तकनीकी अनिवार्य है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने की आदिम आवश्यकता की मजबूरियाँ, जिसके बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित सभी अधिकारों का आनंद लेना उनके सभी अर्थ खो देगा, निवारक

निरोध के कानूनों के लिए सही औचित्य हैं। इस अधिकार क्षेत्र को "संदेह के अधिकार क्षेत्र" के रूप में वर्णित किया गया है, और एक लोकतांत्रिक समाज और सामाजिक व्यवस्था की स्वतंत्रता के मूल्यों को संरक्षित करने की मजबूरियां कभी-कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती के योग्य होती हैं। कोई भी कानून अपने आप में एक अंत नहीं है और राज्य की सुरक्षा और राष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन के कारणों से स्वतंत्रता में कटौती को एक आवश्यक बुराई के रूप में सख्त संवैधानिक प्रतिबंधों के तहत प्रशासित किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में राज्य के किसी भी अंग को पूर्णाधिकार नहीं दिया गया है वह एकमात्र मध्यस्थ होगा। [ पैरा 8] [64-एच; 65-ए-सी)

*रेक्स वी. नल्लीदेव* [1971] ए. सी. 260; *श्री कुबिक डेरियस बनाम भारत संघ और अन्य*, ए. आई. आर. [1990] एस. सी. 605 और *अय्या उर्फ अयूब बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य* ए. आई. आर. [1989] एस. सी. 364, संदर्भित।

4.1. यह तर्क कि प्रायोजक प्राधिकारी के विचार पूरी तरह से अनावश्यक थे और उस प्राधिकरण द्वारा लिए गए समय को बचाया जा सकता था अपील नहीं करता है क्योंकि प्रस्ताव शुरू करने वाले प्राधिकरण से परामर्श करना कभी भी अनुचित अभ्यास नहीं कहा जा सकता है। [ पैरा 10] [66-बी-सी]

4.2. सरकार के लिए व्यापार के नियमों के तहत यह सामान्य है कि जिस अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सरकार को प्रतिनिधित्व दिया गया है उस अधिकारी से सरकार टिप्पणी मांगे। वास्तव में, यदि इस तरह की टिप्पणियों की मांग नहीं की जाती है और सरकार द्वारा वैधानिक प्रतिनिधित्व को सरसरी तौर में खारिज कर दिया जाता है, तो यह माना जायेगा कि अस्वीकृति बिना किसी बुद्धिमत्ता के प्रयोग के दी गयी। इसलिए, ऐसे मामलों में जहां विचार करने वाले प्राधिकारी को लगता है कि मूल आदेश

देने वाले अधिकारी की टिप्पणियां आवश्यक हैं, तो ऐसे वरिष्ठ प्राधिकारी को ऐसी टिप्पणियों के लिए बुलाना चाहिए।[पैरा 11] [67-ए-सी]

4.3. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का विवादित आदेश स्पष्ट रूप से अरक्षणीय है। हालांकि, हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी दो महीने की अवधि के भीतर तय करेगा कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 को वापस अभिरक्षा में लेना वांछनीय होगा। [पैरा 12] [67-एफ]

*कमरुन्निसा बनाम भारत संघ और अन्य*, [1991] 1 एस. सी. सी. 128 और *डॉ. प्रकाश बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य*, [2002] 7 एस. सी. सी. 759, पर आधारित।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं. 546/2007, 05.04.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से उच्च न्यायालय गुवाहाटी, इम्फाल बेंच, मणिपुर में डब्ल्यू. पी. (सीआरएल।) 2005 का सं. 50।

ए. शरण, ए. एस. जी., सुषमा सूरी और अमित आनंद तिवारी अपीलार्थी की ओर से न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. 1. द्वारा दिया गया था लीव स्वीकृत।

2. इस अपील में गोवाहाटी उच्च न्यायालय इम्फाल की डीवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें इम्फाल बेंच ने प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकृति दी। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में जिला मजिस्ट्रेट तामेंगलोंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (संक्षेप में) की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सपठित गृह विभाग के आदेश No.17 (1)/49/80-S (Pt) दिनांक 31.5.2005 के साथ पढ़े गए 'अधिनियम' में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि प्रार्थी के द्वारा अपने समर्थन में कई

आधारों पर आग्रह किया गया। उच्च न्यायालय ने इस रूप को स्वीकार किया कि दिये गये प्रतिनिधित्व के निपटारे में अस्पष्ट देरी हुई है। यहां यह भी गौरतलब है कि प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के बाद उठाये गये कदमों का ब्यौरा देते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि प्रायोजक प्राधिकारी का दृष्टिकोण प्राप्त करने में कुछ समय लग गया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रायोजक प्राधिकारी के विचार/दृष्टिकोण लेना आवश्यक नहीं था और इसलिए, देरी का कारण ठीक से नहीं बताया गया। तदनुसार निरोध का आदेश निरस्त कर दिया गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार इस न्यायालय द्वारा कई मामलों व्यक्त किए गए विचारों के विपरीत है।

4. नोटिस की तामील के बावजूद प्रतिवादी नं. 1 की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

5. प्रायोजक प्राधिकारी के विचार प्राप्त करने की वांछनीयता के बारे में विवाद से निपटने से पहले तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निरोध का आदेश दिनांक 3.9.2005 प्रत्यर्थी सं. 1 (इसके बाद 'बंदी' के रूप में संदर्भित किया गया) पर 14.09.2005 को दिया गया। निरोध को मणिपुर के राज्यपाल ने 26.9.2005 को नजरबंदी को मंजूरी दी थी। गृह मंत्रालय को 3.11.2005 पर हिरासत में लिये गये व्यक्ति द्वारा नजरबंदी के खिलाफ प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। तुरंत प्रायोजक प्राधिकरण से बिन्दूवार टिप्पणियाँ माँगी गईं। 19.12.2005 को टिप्पणी प्राप्त हुई और 20.12.2005 को प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर खारिज किया गया। 7.11.2005 को बंदी ने निरोध के आदेश को रद्द करने के लिए एक रिट याचिका (सी. आर. एल.) 50/2005 गुवाहाटी

उच्च न्यायालय इम्फाल पीठ के समक्ष प्रस्तुत की। यह निवेदन किया गया कि बंदी द्वारा दायर रिट याचिका के निपटान में असामान्य देरी हुई ।

6. जहाँ तक इस महत्वपूर्ण प्रश्न का संबंध है कि क्या प्रतिनिधित्व के निपटान में देरी हुई इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 22 (5) की पृष्ठभूमि में इस पर विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक बंदी को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 22 (5) में दिये गये प्रवधान के अनुसार बंदी को नजरबंदी के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता प्रदान करना अनिवार्य करता है। यह उस अधिकारी को भी प्रभावित करता है जिसे प्रतिनिधित्व संबोधित किया जाता है ताकि वह उससे अत्यधिक शीघ्रता के साथ निपटा जा सके। प्रतिनिधित्व पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना है कि बंदी की नजरबंदी संबंधित प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि है और अनुच्छेद 22 (5) के तहत प्रदत्त संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन निरोध आदेश को अमान्य कर देता है। अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी पवित्र और संवैधानिक मूल्यों के पैमाने में इतनी अधिक है कि यह हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी का यह दर्शित करने का दायित्व है कि विवादित हिरासत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ सावधानीपूर्वक मेल खाती है। *थॉमस पचम डेल्स* (1881)(6) क्यूबीडी 376 के मामले में न्यायिक सतर्कता की कठोरता और चिंता का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया है:

“इसके पश्चात बन्दी प्रत्यक्षीकरण पर सवाल आता है। यह एक सामान्य नियम है, जिस पर इंग्लैण्ड के अदालतों द्वारा हमेशा कार्यवाही की गयी है, कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के कारावास की सजा प्राप्त करता है तो उसे चरणों में ऐसा करने का ध्यान रखना चाहिए जिसमें से सभी पूरी तरह से नियमित है और यदि वे अत्यधिक नियमितता के साथ प्रक्रिया

में हर कदम क पालन करने में विफल रहता है तो अदालत कारावास को जारी करने की अनुमति नहीं देगी।”

7. संविधान के अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा, अवैध हिरासत के सवाल पर अत्यधिक शीघ्रता के साथ जांच करने के लिए निश्चित रूप से एक तंत्र की आवश्यकता थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसी प्रकृति का एक उपकरण है। ब्लैकस्टोन ने इसे "सभी प्रकार के अवैध कारावास में महान और प्रभावी रिट" कहा। रिट को अधिकार के एक रिट के रूप में वर्णित किया गया है जो एक्स डेबिटो न्यायाधीश (पूर्व ऋण न्याय) के लिए अनुदान योग्य है। यद्यपि यह एक अधिकार की रिट है, यह निश्चित रूप से एक रिट नहीं है। आवेदक को अपनी गैरकानूनी हिरासत का प्रथम दृष्टया मामला दिखाना होगा। हालाँकि, एक बार जब वह ऐसा कोई कारण दिखाता है और जवाब अच्छा और पर्याप्त नहीं होता है, तो वह अधिकार के रूप में इस रिट का हकदार होता है।

8. निवारक निरोध के मामले में कोई अपराध साबित नहीं होता है, न ही कोई आरोप लगाया जाता है और इस तरह के निरोध का औचित्य संदेहपूर्ण या तर्कसंगतता है और कोई आपराधिक दोषसिद्धि नहीं है जिसे केवल कानूनी साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जा सके। निवारक न्याय के लिए आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है। (रेक्स वी. नल्लीदेव, (1917) ए.सी. 260 क्यूबिक डेरियस बनाम भारत संघ और अन्य, एआइआर (1990) एससी 605 लेकिन साथ ही, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी मानवीय स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, और इसलिए निवारक निरोध के कानूनों को सख्ती से लागू किया जाता है, और प्रक्रियात्मक सुरक्षा के साथ सावधानीपूर्वक अनुपालन, हालांकि, तकनीकी अनिवार्य है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने की आदिम आवश्यकता की मजबूरियां, जिनके बिना



व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित सभी अधिकारों का आनंद लेना उनके सभी अर्थ खो देगा, निवारक निरोध के कानूनों के लिए सही औचित्य हैं। इस अधिकार क्षेत्र को "संदेह के अधिकार क्षेत्र" के रूप में वर्णित किया गया है और एक लोकतांत्रिक समाज और सामाजिक व्यवस्था की स्वतंत्रता के मूल्यों को संरक्षित करने की मजबूरियां कभी-कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती के योग्य होती हैं। (अय्या उर्फ अयूब बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य, एआइआर (1989) एससी 364)। थॉमस जैफरसन ने कहा कि लिखित कानून का ईमानदारी से पालन करके अपने देश को खोना, कानून को खोना होगा, साधनों के लिए। अंत का बेतूका बलिदान देना होगा, कोई भी कानून अपने आप में एक अंत नहीं है और राज्य की सुरक्षा और राष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन के कारणों से स्वतंत्रता में कटौती एक आवश्यक बुराई के रूप में सख्त संवैधानिक प्रतिबंधों के तहत प्रशासित किया जाना चाहिए। राज्य के किसी भी अंग को ऐसे मामलों में एकमात्र मध्यस्थ होने के लिए कोई (कार्ट ब्लेंच) पूर्णाधिकार नहीं दिया गया है।

9. उच्च न्यायालय का विचार था कि बिन्दूवार टिप्पणियां की मांग करने की आवश्यकता नहीं थीं और यह माना गया कि यह निरोध के लिए घातक था।

10. सवाल यह है कि क्या प्रायोजक प्राधिकारी के विचार मांगे जाने चाहिए और क्या वे आवश्यक हैं, कड़ मामलों में विचार किया गया है। कमरुन्निसा बनाम भारत संघ और अन्य, [1991] 1 एस. सी. सी. 128 को निम्नानुसार देखा गया:

"याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कई तर्क उठाए जिसमें बंबई उच्च न्यायालय द्वारा नकार दी गई दलीलें भी शामिल हैं। सबसे पहले यह तर्क दिया गया था कि हिरासत में लिये गये बंदी ने 18 दिसंबर, 1989 को प्रतिनिधित्व दिया था 30 जनवरी, 1990 को संचार द्वारा अत्यधिक देरी के बाद खारिज कर दिया गया था। 18 दिसंबर, 1989 के

प्रतिनिधित्व 20 दिसम्बर 1989 को जेल अधिकारियों को सौंपे गये। जेल अधिकारियों ने उन्हें पंजीकृत डाक द्वारा भेजा। 23, 24 और 25 दिसंबर, 1989 गैर-कार्यदिवस थे। 28 दिसंबर, 1989 को प्रतिनिधित्व कोफेपोसा इकाई को प्राप्त हुए थे अगले ही दिन यानी 29 दिसंबर, 1989 को टिप्पणी के लिए प्रायोजक प्राधिकारी को भेजा दिया गया था। 30 और 31 दिसम्बर 1989 गैर-कार्य दिवस थे। इसी तरह 6 और 7 जनवरी, 1990 गैर-कार्य दिवस थे। प्रायोजक प्राधिकरण की टिप्पणियां 9 जनवरी, 1990 को कोफेपोसा इकाई को भेज दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रायोजक प्राधिकरण को 1 जनवरी, 1990 से पहले प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सकता था। 1 जनवरी, 1990 और 8 जनवरी, 1990 को दो गैर-कार्य दिवस थे, अर्थात् 6 जनवरी और 7 जनवरी, 1990 और इसलिए, प्रायोजक प्राधिकरण के बारे में यह कहा जा सकता है उसने उपलब्ध चार या पाँच दिनों के भीतर टिप्पणियां पेश कर दी हैं , इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रायोजक प्राधिकरण अत्यधिक देरी का दोषी था। यह तर्क कि प्रायोजक प्राधिकरण के विचार पूरी तरह से अनावश्यक थे और इसमें लगने वाला समय उस प्राधिकरण द्वारा बचाया जा सकता था जो हमें अपील नहीं करता है क्योंकि प्रस्ताव की शुरुआत करने वाले प्राधिकरण से परामर्श करना कभी भी अनुचित अभ्यास नहीं कहा जा सकता है। प्रायोजक प्राधिकारी की टिप्पणियाँ प्राप्त होने के पश्चात कोफेपोसा इकाई ने कार्यवाही प्रारम्भ की, 16 जनवरी, 1990 को प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया गया। टिप्पणियाँ 9 जनवरी, 1990 को भेजी गयी थी और 11 जनवरी, 1990 को कोफेपोसा इकाई को प्राप्त हुयी। पत्रावली 12 तारीख को वित्त मंत्री को प्रस्तुत की गयी; 13 और 14

तारीख गैर-कार्यशील होने के कारण उन्होंने 16 जनवरी 1990 को प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने का निर्णय लिया और अस्वीकृति का ज्ञापन 18 जनवरी 1990 को डाक द्वारा भेजा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि बंदी द्वारा संचार की प्राप्ति में डाक से देरी हुई थी। परन्तु इसके लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए प्रतिउत्तर में दिए गए स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि बंदी के प्रतिनिधित्व को निपटाने में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी। इस संबंध में हमारा ध्यान कानून की ओर आकर्षित किया गया था लेकिन हम इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि देरी से प्रश्न का उत्तर प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जवाब दिया जाना चाहिए। देरी, यदि कोई हो या नहीं यदि कोई हो तो ठीक से समझाया गया है या नहीं यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और वर्तमान मामले में हम संतुष्ट हैं कि बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है जैसा कि उपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है। इसलिए हमें इस प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं दिखती है।"

11. पुनः *डॉ. प्रकाश बनाम टी. एन. और अन्य*, [2002] 7 एससी 759 में यह निम्नानुसार देखा गया:

"अंत में यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार हिरासत में लेने वाले अधिकारी की राय के पूर्वाग्रह से ग्रसित थी जो कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के द्वारा दी गई थी। यह तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि राज्य सरकार को दूसरे प्रतिवादी से पैरावाइज टिप्पणी तलब की जानी चाहिए थी जब वह प्रार्थी की प्रतिनिधित्व की सुनवाई कर रहा था। इसके जवाब में कि दूसरे प्रतिवादी के द्वारा भेजी गई टिप्पणी के अंतिम पैरा में

यह कहा गया है कि याचिका कर्ता का प्रतिनिधित्व अस्वीकार किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उक्त सिफारिश ने पुष्टि करने वाले अधिकारी के मन में याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को खारिज करने के विचार को रखा। हम इस तर्क को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सरकार के लिए व्यवसाय के नियमों के तहत यह सामान्य है कि उस अधिकारी की टिप्पणी मांगें जिसके आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व सरकार को भेजा गया है। वास्तव में, यदि ऐसी टिप्पणियां को नहीं बुलाया जाता है और वैधानिक प्रतिनिधित्व को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो यह माना जाएगा की सरकार ने बुद्धिमता का प्रयोग किये बिना ही अस्वीकार कर दिया। इसलिए, ऐसे मामलों में जहां विचार करने वाला प्राधिकारी महसूस करता है कि मूल आदेश देने वाले अधिकारी की टिप्पणी आवश्यक है तो ऐसे वरिष्ठ प्राधिकारी को ऐसी टिप्पणियां मांगनी चाहिए। मौजूदा मामले में हिरासत में लिये गये व्यक्ति द्वारा दायर किये गये प्रतिनिधित्व में कुछ तथ्यात्मक बिन्दू उठाये गये थे जिनसे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की टिप्पणी लिये बिना निपटान मुश्किल हो सकता था। इसलिए हमारी राय में प्रतिनिधित्व पर विचार करने वाले प्राधिकारी ने उचित रूप से टिप्पणियां मांगी थी। इस तर्क का अगला पहलु यह है कि राज्य सरकार ने प्रतिनिधित्व को खारिज करने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की टिप्पणियों से प्रभावित थी, बहुत दूर की कौड़ी है। मौजूदा मामले में तमिलनाडू सरकार को उसके अधीनस्थ पुलिस आयुक्त द्वारा दिये गये हिरासत आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व पर विचार करने का अधिकार दिया गया है इसलिए मान लेना कि ऐसा उच्च प्राधिकारी अधीनस्थ

द्वारा दी गई राय से इस हद तक प्रभावित होगा कि वह अपने स्वतंत्र प्राधिकार को आत्मसमर्पण कर देगा। राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्राधिकार की स्वतंत्रता को अपमानित करना है इसलिए यह तर्क केवल दर्ज किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है।"

12. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश बचाव योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाता है। हालांकि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी दो महीने में निर्णय लेगा कि क्या प्रतिवादी संख्या 01 को हिरासत में लेना वांछनीय होगा।

13. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीलम मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण :** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।